बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 18/03/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–501/2025 1072 /यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0–12920/2025 सुधा त्रिवेदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.09.2025 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. याचिका सं0–12920/2025 सुधा त्रिवेदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.09.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"...7. Having considered the nature of the grievance and the submissions advanced by the learned Advocate for the respective parties, this Court deems it fit and proper to dispose of the present application with a direction to respondent nos. 2 and 4 to consider the representations of the petitioner in the light of the policy decision, which governs her claim and to bring its logical conclusion, as early as possible within six weeks.

8. With the aforesaid direction, the present writ petition stands disposed of..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–4607 दिनांक–26.12.2025 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तुस्थिति रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई में याचिकाकर्त्ता अनुपस्थित रही। याचिकाकर्त्ता के अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय नियमावली के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–01 दिनांक–01.01. 2026 निर्गत किया गया। याचिकाकर्त्ता द्वारा पुनः पूरक शपथपत्र दायर करने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–753 दिनांक–13.02.2026 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तुस्थिति रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई में याचिकाकर्त्ता की ओर से श्री सियाराम पाण्डेय (अधिवक्ता) उपस्थित रहे। वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि उनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा जारी विज्ञापंन संख्या–26/2023 के आलोक में चयनित होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में दिनांक–22.11.2023 से U.H.S.S.(+2) मोहम्मदपुर, वैशाली जिले में पदस्थापित है।

5. श्रीमती त्रिवेदी द्वारा दिनांक–11.12.2024 को ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर दूरी के आधार पर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया है।

6. दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया गया था, जिसपर उस समय विचार नही किया गया था। क्योंकि विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या–2048 दिनांक–22.11.2024 के आधार पर स्थानांतरण किया गया।

7. संप्रति विभाग द्वारा स्थानांतरण नियमावली तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तद्नुसार माननीय न्यायालय के आदेशालोक में श्रीमती सुधा त्रिवेदी के मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

इस अभिमत के साथ उक्त वाद को निष्पादित किया जाता है।

Rajendar 13.3.2026

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—07 / मु0—01—501 / 2025 ..1072.......... पटना, दिनांकः—..18/03/26.

प्रतिलिपिः— 1. Sudha Trivedy, Wife of Sri Siyaram Pandey, resident of E/105, Pushpanjali Vihar Apartment, Saristabad, P.S. - Gardanibagh, District- Patna. को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3. श्री रवि शंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.3.2026

अपर मुख्य सचिव